

// नि र्ण य //

(आज दिनांक 24/12/2021 को घोषित)

- 1- अभियुक्त रामजीलाल को धारा 4-क सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के तहत अंतर्गत अपराध विवरण की विशिष्टियाँ पढ़कर सुनाई व समझायी गई तो अभियुक्त ने स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया।
- 2- अभियुक्त द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति बिना किसी डर, दबाव व भय के की गई है। अतएव उसके द्वारा की गयी स्वेच्छयापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर उसे उक्त अपराध का दोषी ठहराया जाता है। दोषसिद्धि में अभियुक्त को धारा 4-क सार्वजनिक द्यूत अधिनियम के तहत न्यायालय उठने तक की सजा एवं रुपये 500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।
- 3- अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर संबंधित अभियुक्त को 05 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
- 4- प्रकरण में जप्तशुदा चार सट्टे की पर्ची व एक पैन मूल्यहीन होने से नष्ट हो। जप्तशुदा रुपये 660/- राजसात किये जाते हैं, विधिवत् कोषालय में जमा हो।

स्थान - सबलगढ

दिनांक- 24/12/2021

(मुकेश गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सबलगढ जिला मुरैना (म.प्र.)
मुकेश गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सबलगढ जिला मुरैना (म.प्र.)

(मुकेश गुप्ता)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सबलगढ जिला मुरैना (म.प्र.)
मुकेश गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सबलगढ जिला मुरैना (म.प्र.)